अपर समाहर्त्ता का न्यायालय,गोड्डा।

आर0एम0आर0 23/2013

अपीलकर्त्ता-तालाबाबू टुटू वगैरह

बनाम

उत्तरवादी-अजय मरण्डी एवं अन्य

28/3/16

-: आदेश :-

प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय, गोड्डा के मुटेशन अपील-05/2009-10 अजय मरंडी वगैरह बनाम् तालाबाबू टुडू वगैरह मे दिनांक 12.05.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में अपील दायर किया गया। यह वाद दिनांक- 24.07.2013 को उपायुक्त महोदय के न्यायालय से हस्तांतरित होकर वाद का निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात् उभय पक्षों को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत की गयी। उभय पक्षों ने उपस्थित होकर अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से अपना-अपना पक्ष रखा तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया।

अपीलकर्त्ता ने उल्लेख किया है कि निम्न न्यायालय के उल्लेखित वाद मुटेशन अपील नं0-05/2009-10-95 में दिनांक-12.05.2010 को जो आदेश पारित किया गया है वह गलत है। अपीलकर्त्ता ने अपील आवेदन में अधिकांश उन्हीं बातों को दोहराया गया है जो कि जो कि निम्न न्यायालय में कहा गया था। प्रश्नगत भूमि मौजा-लखिपुर थाना-महगामा, जमाबंदी नं0-06/क रकवा 4 बीधा पर उत्तरवादी के पूर्वज हरिक मरंडी को RER केश नं0-203/34-35 के माध्यम से स्वत्व प्राप्त हुआ, जिस पर हरिक मरंडी को न्यायालय द्वारा दिनांक-12.08.1935 को दखल-देहानी भी दिया गया। अपीलकर्त्ता का दावा है कि उनके परदादी ने उत्तरवादी के पूर्वज हरिक मरंडी से दिनांक-25.11.35 को प्रशनगत भूमि कुर्फा से प्राप्त किये तथा उक्त भूमि का मारफती मालगुजारी रसीद भरते रहे और जमीन का जोत-आवाद भी करते रहे। परन्तु अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय में और न ही अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक भी मारफती मालगुजारी रसीद और तथा कुर्फानामा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया।

पक्षकारों की ओर से की गयी बहस तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों पर सम्यक विचारारोपरांत उल्लेख करना है कि संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कुर्फा के आधार पर जमाबंदी जमीन का हस्तांतरण अवैध है।

अतः निम्न न्यायालय में दिनांक-12.05.2010 को पारित आदेश में कोई सुधार की आवश्यकता महसुस नही करती और अपीलकर्त्ता की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य एवं दलील प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे उनके पक्ष में आदेश पारित की जा सके। अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के मुटेशन अपील-05/2009-10 में दिनांक-12.05.2010 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकृत की जाती है।

Seen A.K. Dubey 1-4-016

आदेश की प्रतिलिपि सहित निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

28/3/16

अपर समाहर्त्ता,

गोड्डा

28/3/16

अपर समाहर्त्ता,

गोड्डा